

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)

पीठासीन अधिकारी –जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 5 / 2023 / सरफैसी(जी.सी.एम.एस-2023 / 6)

मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड Corporate Office is 8th floor, Max House, Block A, Dr. Jha Marg, Okhla Phase 3, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 Also at Regd. Office – 1407, 14th Floor, Chirnjivi Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019, Branch Office- K-14, 7th floor International Business Center, Ashok Marg, Jaipur- 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अनुराघ शर्मा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. Jagdish Dangi S/o Kalu Lal Dangi Patel Choraha, Jhadol Th.Sarada, Salumber, Rajasthan-313905.
2. Lalita Devi W/o Jagdish Dangi, Patel Choraha Jhadol Th. Sarada, Salumber Rajasthan-313905.

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


आदेश

दिनांक 30-4-24.

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 11,80,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद(All Piece and Parcel of property situated At Gram Panchayat Jhadol, Tehsil Sarada, Distt. Salumber, Rajasthan Measuring -1691.75 Sq.ft East- House of Kachra Dangi, West – Main Road, North- House Of Shri DhannaJi, South- House of Bheru Lal Ji) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के अन्तर्गत भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 24.06.2021 तक 10,28,540.




जिला कलक्टर
सलूमबर (राज.)

56/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 11,80,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 24.06.2021 तक 10,28,540.56/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (All Piece and Parcel of property situated At Gram Panchayat Jhadol, Tehsil Sarada, Distt. Salumber, Rajasthan Measuring -1691.75 Sq.ft East- House of Kachra Dangi, West – Main Road, North- House Of Shri DhannaJi, South- House of Bheru Lal Ji) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, सलूमबर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(जसमीत सिंह संधू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सलूमबर